मैसर्स म्यूलर एण्ड फिप्स इंडिया लिमिटेड

विरुद्ध

केन्द्रीय आबकारी जिलाधीश बम्बई-1

5 मई, 2004

राजेन्द्र बाबू, मुख्य न्यायाधिपति एव जी पी माथुर, न्यायाधिपति

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1985 - शुल्क र्शीषक 30.03 और 33.04 - उत्पाद शुल्क उगाही - कांटेदार ताप पाउडर और संशोधित सुगंधित पाउडर का वर्गीकरण - स्वामित्व वाली दवाओं या सौंदर्य, शौचालय प्रसाधनों की तैयारी के रुप में निर्धारित शुल्कः जब राज्य के अधिकारी किसी वस्तु पर कर लगाते है, तो न्यायालय को वस्तुओं के वर्गीकरण के तरीके से निर्देशित होना चाहिए न कि उत्पाद के व्युत्पत्ति संबंर्धी अथ या विशेषज्ञ की राय से तथ्यों पर जो हमें दर्शाए गए विभिन्न विभागों ने जिसे औषधि के रूप में प्रयुक्त करना व्यावसायिक रूप में बताया जो औषधि अधिनियम व विक्रय अधिनियम के तहत औषधि के रूप में वर्गीकृत है, उसे औषधीय वस्तु माना जाएगा न कि शौचालय प्रसाधन। केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1944।

यह प्रश्न उठाया गया कि कांटेदार ताप पाउडर को औषधिओं या सौन्दर्य / शौचालय प्रसाधन उत्पादन शुल्क अधिनियम के तहत माना जाएगा। जिलाधीश

(अपील) में निर्धारित किया था कि यह देखते हुए उत्पादन में चिकित्सीय सामग्री है जो मिलारिया रुबरा / कांटेदार ताप पाउडर का वर्गीकरण औषधि के रूप में पुराने टैरिफ-1 14 ई 28.02.86 जो शीर्षक 30.03 (1.3.86) से आया है। अपीलीय अधिकरण ने यह विचार काम में लिया कि केन्द्रीय उत्पादन मद अब सामंजस्यपूर्ण प्रणाली के नामकरण (एच.एस.एन.) व कमेटी के सिफारिश के अनुसार कांटेदार ताप पाउडर त्वचा की तैयारी के लिए होता है तथा इसे इस आधार पर नहीं हटाया जा सकता कि समान उत्पादन औषधि के लाइसेंस के तहत निर्मित व विक्रीत होते हैं। यह भी माना गया है कि यह उत्पादन त्वचा की देखभाल के लिए है, न कि एक औषधि है जैसा कि अपीलार्थी कम्पनी ने माना अतः यह वर्तमान अपील।

अपीलार्थी कम्पनी ने तर्क दिया कि कांटेदार ताप पाउडर में कई औषधियां हैं जो कई त्वचा के रोगों को जैसे माइलेरिया, रूबरा / कांटेदार ताप पाउडर को औषधि उत्पादन के लाइसेंस के तहत उत्पादन किया जाता है जो औषधि अधिनियम के तहत है। औषधि नियंत्रक ने यह राय दी है कि इस पाउडर में उच्च मात्रा में बोरिक एसिड है अतः इसे औषधि के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। केन्द्र सरकार, विक्रय कर अधिकरण एवं औषधि विभाग ने यह निर्धारित किया कि यह उत्पादन एक औषधि है। 1970 से 1985 तक कांटेदार ताप पाउडर को पेटेंट औषधि के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जिलाधीश अपील ने भी ऐसा ही निर्धारित किया है जिसे अधिकरण ने निरस्त कर दिया है। वाणिज्यिक रूप से यह उत्पादन मालिकाना पेटेंट औषधि के रूप में माना व जाना जाता है जिससे बीमारियों को रोका जा सके।

अपीलों को स्वीकृत करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया-

1.1 वे मामले जहां राज्य के अधिकारियों द्वारा कर लगाया जाता है। न्यायालय को इस बात से मार्गदर्शन लेना चाहिए कि उत्पादन का वर्गीकरण किस प्रकार का है जिस पर कर लगाया जा रहा है। न कि उत्पादन की व्युत्पत्ति, जो प्रश्नगत है अथवा विशेषज्ञ की राय। (46 बी)

1.2 जब केन्द्रीय उत्पादन टैरिफ अंतर्राष्ट्रीय नामकरण पर आधारित हो जो सामंजस्यपूर्ण नामकरण (एचएसएन) में पाया जाता है कोई भी विवाद जो टैरिफ वर्गीकरण से सम्बद्ध हो, को आवश्यक रूप से जहां तक सम्भव हो, एचएसएन के नामकरण से निपटारा करना चाहिए। जब तक कि कोई स्पष्ट भिन्न आशय केन्द्रीय उत्पादन टैरिफ अधिनियम से न निकलता हो। जब केन्द्रीय उत्पादन अधिनियम को अधिनियमित किया गया था जो एचएसएन के तरीके से किया गया था तो समान उद्गार जो अधिनियम में दिया गया है उसे ही माना जाना चाहिए जब भारतीय टैरिफ में ऐसा कोई संकेत नहीं है कि कोई दूसरा आशय निकाला जा सके। परंतु वर्तमान मामले में औषधि नियंत्रक विभाग ने कांटेदार ताप पाउडर को औषधीय वस्तु माना है तथा साथ ही केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अधिकारियों ने भी इसे औषधि माना है।

जिलाधीश केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, शिलांग बनाम वुडक्राफ्ट प्रोडक्ट्स लिमिटेड, (1996) 3 एससीसी 454 का संदर्भ लिया गया।

1.3 बीपीएल फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के मामले में बताये गये सिद्धान्त पर तथा उन विभिन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिनमें कांटेदार ताप पाउडर को विभिन्न विभागों द्वारा यह माना गया है इस सम्बन्ध में कि उसकी व्यावसायिक भाषा क्या है तथा इसे औषधि माना गया है। यह औषधि होना बंद नहीं कर देगा। यह देखते हुए भी कि नया टैरिफ अधिनियम प्रभाव में आ चुका है। ऐसे मामलों में यह देखा जाना चाहिए कि जब सामान्य भाषा में औषधीय अधिनियम, विक्रय कर अधिनियम तथा अन्य कई अधिनियम जो पूर्व में विभाग द्वारा पारित किये गये। यह निर्णय अनिवार्य है कि प्रश्नगत उत्पादनों को औषधीय उत्पादन माना जाना चाहिए। (48.D.E)

बीपीएल फार्मास्युटिकल लिमिटेड बनाम सीसीई (1995) सप्लीमेंट 3 एससीसी 1 पर भरोसा किया गया।

आन्ध्रप्रदेश राज्य बनाम कोदूरी सत्यनारायणा एण्ड कम्पनी (1988) एसटीसी 233 (आन्ध्रप्रदेश) संदर्भ दिया गया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील सं 779-783 सन् 1997

केन्द्रीय उत्पाद व आबकारी शुल्क सोना नियंत्रण अपीलेट अधिकरण नई दिल्ली के निर्णय व आदेश दिनांक 26.02.1996 के विरुद्ध जो एफओ संख्या 618-621/1996-सी व अपील सं. ई/3036, 3578, 3579 एवं 4116/1990-सी एवं ई विविध संख्या 296/1993-सी एवं 34, 35/1996-सी एवं ए सं. ई/3710/87 - सी में पारित किया गया।

अशोक देसाई, डी.बी. श्राॅफ, सुश्री शिरीन खजूरीया, सुश्री पूजा शर्मा, अजय अग्रवाल एवं राजन नारायण अपीलार्थी की ओर से।

टी. एल. वी. अयैर, जी. वेंकटेश राव, टी. ए. खान एवं बी. के. प्रसाद प्रत्यर्थी की ओर से।

न्यायालय की ओर से निर्णय सुनाया गया।

राजेन्द्र बाबू, मुख्य न्यायाधिपति

इन अपीलों में जो केन्द्रीय उत्पाद व आबकारी शुल्क सोना नियंत्रण अपीलेट अधिकरण नई दिल्ली के एक आदेश से उत्पन्न हुई है जिन्हें हम आगे चलकर अधिकरण कहेंगे। इसमें यह प्रश्न उठाया गया है कि क्या जाॅनसन का कांटेदार ताप पाउडर व फिप्स का तैयार किया गया सुगन्धित पाउडर पेटेंट व मालिकाना औषधियां हैं जिन पर उत्पादन शुल्क पुराने टैरिफ मद 14 ई (1.3.86 से पूर्व) तथा शीर्षक 30.3 (1.3.86 के पश्चात्) जैसा कि अपीलार्थी ने दावा किया है अथवा वे सब सौन्दर्य प्रसाधन है जो पुराने टैरिफ मद 14 एफ (1.3.86 से पूर्व) व शीर्षक 33.04 (1.3.86 के पश्चात्) विभाग के अनुसार आएंगे।

अधिकरण ने निर्धारित किया कि ये उत्पादन सौन्दर्य प्रसाधन हैं एवं औषधियां नहीं हैं क्योंकि इन उत्पादनों में जो बोरिक एसिड, सेलिसिलिक एसिड एवं जिंक ऑक्साइड उपस्थित है जो सहायक औषधि अथवा एंटीसेप्टीक भाग है तथा उनकी इलाज करने की रोगनिरोधी क्षमता आंशिक है अतः यह उत्पादन त्वचा के देखभाल के लिए तथा

टैरिफ प्रविष्टि 14 एफ जो 28.2.86 तक लागू था व शीर्षक 33.04 में 1.3.86 के पश्चात् आ गया। अतः धारा 37 बी केन्द्रीय उत्पादन अधिनियम, 1944 के तहत पारित किए गए। आदेश में कोई त्रुटि नहीं है।

संबद्ध प्रविष्टि जो टैरिफ मद 14 एफ व शीर्षक सं. 33.03 में है, इस प्रकार है:

1. 14 एफ सौन्दर्य एवं शौचालय प्रसाधन - जिनमें एल्कोहल या अफीम नहीं है। भारतीय भांग या अन्य नशीली औषधि नहीं है। जैसे कि:-

(1) वे वस्तुएं जो त्वचा सुन्दरता जो शरीर की मैनीक्योर पैडीक्योर की वस्तुएं हैं व सुन्दरता बढ़ाने की क्रीम साफ करने वाली क्रीम, कोल्ड क्रीम, मेक अप क्रीम, गंदगी दूर करने वाली क्रीम, त्वचा का भोजन, त्वचा का पाउडर, चेहरे का पाउडर, बच्चों का पाउडर, शौचालय पाउडर, सुगन्धित पाउडर, ग्रीज पेन्ट, लिपिस्टिक, आई ब्रो पेंसिल, नाखून पाॅलिश वार्निश, क्यूटिकल हटाने वाला एवं वे अन्य उत्पादन जो मेनीक्योर चिरोपोडी, सूर्य जलन को रोकने की उत्पादन, सूर्य का सांवलापन दूर करने के उत्पादन व बैरियर क्रीम जो त्वचा की जलन, बदबू दूर करने व लोमनाशक हों।

2. बालों की देखभाल के लिए तैयार उत्पादक जैसे बिलियंटाइन खुश्बूदार तेल लोशन पोमेड, क्रीम, बालों को रंगने वाला रंग, शैम्पू चाहें उनमें साबुन या जैविक सतही सक्रिय एजेंट हो या नहीं।

3. दाढ़ी बनाने की क्रीम चाहे उनमें कोई साबुन या जैविक सतही सक्रिय एजेंट हो या नहीं।

स्पष्टीकरण-1

‘‘एल्कोहल’’, ‘‘अफीम’’, ‘‘भारतीय भांग’’, ‘‘नशीली औषधियां’’ एवं नशीले पदार्थ का तात्पर्य वही है जो मेडिसिनल एवं टा ॅयलेट प्रिपरेशन (आबकारी कर) अधिनियम 1955 में दिया गया है।

स्पष्टीकरण-2

यह मद सौन्दर्य एवं शौचालय प्रसाधन को शामिल करती है चाहे वे सहायक के रूप में औषधियों/एंटीसेप्टिक रखते हों या नहीं और चाहे उन्हें यह कहा जा रहा हो कि वे इलाज करती है अथवा रोग निरोधी क्षमता रखते हैं।

स्पष्टीकरण-3

इस मद में वे उत्पादन शामिल हैं वे अमिश्रित उत्पादन हैं जिन्हें बाजार में उपभोक्ता को ऐसे लेबल साहित्य व अन्य संकेतों से विक्रय किया जा रहा है कि वे सौन्दर्य या शौचालय प्रसाधन हैं और इसी प्रकार की कीमत रखते हैं।

सौन्दर्य व मेक अप के प्रसाधन जो त्वचा की सुरक्षा के लिए होते हैं (जिनमें औषधि नहीं होती) जिनमें सन स्क्रीन व सन टेन उत्पादन शामिल हैं साथ ही मेनीक्योर व पेडीक्योर उत्पादन शामिल हैं।

हमारे समक्ष जो मामला अपीलार्थी ने प्रस्तत किया वह वह यही है कि कांटेदार ताप पाउडर में कई औषधियां हैं। जो त्वचा की कई बीमारियों की रोकथाम व उपचार के लिए काम में आती है जैसे माइलेरिया रुबरा, जिसे सामान्य भाषा में कांटेदार

तापीय बीमारी कहा जाता है। यह भी कि कांटेदार ताप पाउडर को औषधीय एवं प्रसाधन अधिनियम 1940 के तहत जारी औषधीय लाइसेंस के तहत तैयार किया जाता है तथा इसे बहुत समय से अधिकारियों द्वारा सौन्दर्य प्रसाधन नहीं औषधि माना जाता है। औषधीय अधिनियम के तहत विŸा मंत्रालय ने एक रेफरेंस औषधीय नियंत्रक भारत को प्रस्तुत किया जिन्होंने यह राय दी कि इसमें 5 प्रतिशत बोरिक एसिड कांटेदार ताप पाउडर में है। अतः इसे औषधि माना जाएगा न कि सौन्दर्य प्रसाधन। यह भी कि 1970 से 1985 तक कांटेदार ताप पाउडर को टैरिफ मद 14 ई पुराने टैरिफ के तहत पेटेंट अथवा मालिकीय औषधि के रूप में वर्गीकृत कर कर लगाया गया है। जिलाधीश अपील ने असहमत होते हुए यह विचार व्यक्त किया है कि सेलिसिलिक एसिड और बोरिक एसिड जो मलेरिया रुबरा बीमारी को दूर करने में काम आते हैं। कांटेदार ताप पाउडर को औषधि माना जाएगा व इसी रूप में औषधि के रूप में वर्गीकृत कर औषधि माना जाएगा जबकि अधिकरण ने जिलाधीश के आदेश पर परखते हुए यह आदेश किया कि कांटेदार ताप पाउडर सौन्दर्य प्रसाधन औषधि नहीं है। यह तर्क दिया गया कि कांटेदार ताप पाउडर न सिर्फ कांटेदार ताप को ताप से जल्दी आराम दिलाता है बल्कि इसे रोककर जब एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा पसीना आता है तो वह पसीना उसकी त्वचा पर लम्बे समय तक रहता है तथा वह व्यक्ति कांटेदार ताप का संभावित शिकार हो जाता है। जबकि विशेष तौर पर तैयार किए गए कांटेदार ताप पाउडर द्वारा पसीने को तेज व बेहतर तरीके से सोख लिया जाता है जिससे कीटाणुओं का बनना बंद हो जाता है और वह व्यक्ति खुजली, जलन व लाल दानों को पाने से मुक्त हो जाता है। कोइ् भी व्यक्ति जो सुंदरता बढ़ाने के लिए सामान्य सुगंधित पाउडर का

उपयोग करता है वह ऐसे उत्पादनों का प्रयोग नहीं करता जिनमें इस प्रकार के सक्रिय औषधियों के सामग्री ऐसे उत्पादन कांटेदार ताप/माइलेरिया रुबरा कहे जाते हैं तथा इनका विक्रय तेज गर्मी में अधिक होता है जब यह बीमारी अक्सर उत्पन्न होती है। यह भी कहा गया है कि केन्द्र सरकार ने अपने आदेश दिनांक 22.3.70 द्वारा निर्धारित किया कि यह उत्पादन एक औषधि है। विक्रय कर अधिकरण ने अपने आदेश 4.2.70 में यह निर्धारित किया कि यह एक औषधि है सौन्दर्य उत्पादन नहीं है। यह भी कि आबकारी एवं उत्पाद कर के केन्द्रीय बोर्ड ने अपने आदेश 17.1.81 में निर्धारित किया है कि सेल्शम शैम्पू सौन्दर्य प्रसाधन नहीं बल्कि औषधि है। तथा इस निर्धय पर पहुंचने का आधार यह है कि कांटेदार ताप पाउडर व नाइसिल को औषधि माना गया है। और सेल्शम इससे भी मजबूत आधार पर खड़ा है। हमारा ध्यान इसी न्यायालय के बीपीएल फार्मास्यूटिकल लिमिटेड बनाम सीसीई (1995) सप्लीमेंट (3) एससीसी 1 तथा आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय आन्ध्र प्रदेश राज्य बनाम कदूरी सत्यनारायण एण्ड कम्पनी (1988) एसटीसी 233 (आन्ध्रप्रदेश) की ओर आकर्षित किया। इन निर्णय में निर्धारित किया गया कि विक्रय कर अधिकरण ने जा ॅनसन के कांटेदार ताप पाउडर को प्रविष्टि 37 (औषधियां) में सही रूप में माना तथा प्रविष्टि 36 (सौन्दर्य प्रसाधन) नहीं माना। यह भी तर्क दिया गया है कि इन उत्पादनों की कीमत औषधि कीमत नियंत्रण आदेश 1970 के तहत निर्धारित की गयी है क्योंकि यह एक औषधि के लाइसेंस के तहत औषधी अधिनियम के तहत निर्मित किये गये हैं। औषधी अधिनियम में 2 प्रशासन है, एक औषधियों के लिए और दूसरी सौन्दर्य प्रसाधनों के लिए। औषधि लाइसेंस जारी करने से पहले नियम 17 औषधीय एवं सौंदर्य प्रसाधन नियम 1945 के तहत कई शर्तों

की पालना करनी होती है। तभी वह उत्पादन सामान्य परिभाषा में पेटेंट या मालिकाना औषधि के रूप में इस प्रकार जाना जाता है कि वह किसी कांटेदार ताप बीमारी का इलाज करेगी। फार्माकाॅलोजी विभाग ग्रांट मेडिकल काॅलेज, मुम्बई के प्रमुख ने यह राय दी है कि जाॅनसन का कांटेदार ताप पाउडर में सेलिसिलिक एसिड व बोरिक एसिड है जिनकी औषधीय कीमत है तथा जिनको त्वचा की कई बीमारियों में काम में लाया जा सकता है। इस विचार के पक्ष में कई पाठ्य पुस्तकें भी बहस के दौरान प्रस्तुत की गई। सम्बन्धित प्रविष्टियों व टैरिफ मदों का विश्लेषण करने के लिए हमारा ध्यान उनकी ओर आकर्षित किया गया है। एचएसएन के सचिवालय द्वारा यह भी पाया गया है कि उनके पास ऐसी कोई विशिष्ट सूचना नहीं है कि कांटेदार ताप पाउडर का इस प्रकार वर्गीकरण किया जा सके, दूसरे देशों में भी ऐसा नहीं है। एक उत्पादन जिसे डकोसन के नाम से जाना जाता है वह भी कांटेदार ताप पाउडर है उसे शीर्षक 33.07 डिओडरेन्ट के तहत वर्गीकृत किया गया है। सरकार ने एचएसएन के सचिवालय को इंगित किया है कि डकोसन की कांटेदार ताप पाउडर से तुलना नहीं की जा सकती। जिसका वर्गीकरण वर्तमान में प्रष्नगत है क्योंकि इसमें 5 प्रतिषत बोरिक एसिड है। यह भी इंगित किया गया है कि सरकार ने औषधिय नियंत्रक से विचार विमर्ष किया जिसकी राय है कि बोरिक एसिड की अधिक मात्रा (सांद्रण) के कारण इस उत्पादन को औषधि माना जा सकता है।

एचएसएन के सचिवालय के विचार पर हमारे यहां मजबूत हमला किया गया। हमारे यहां यह देखना है कि क्या उत्पादन में शीर्षक 33.03 या औषधीय गुण शीर्षक

30.04 के तहत है। सचिवालय ने इसके पश्चात् कई उदाहरणों को जो मार्टिन्डेल के अतिरिक्त फार्माकोपीया में वर्णित किय गये हैं देखा व इस निर्णय पर पहुंचा कि उन उदाहरणों में सक्रिय सामग्री अधिक थी। यह स्पष्ट है कि बोरिक एसिड को औषधि साहित्य में मामूली एंटीबैक्टिरियल व एंटीफंगल गुण रखने वाला बताया गया है। यूरोप की कमेटियों ने एक निर्देश दिया है कि बोरिक एसिड सौंदर्य प्रसाधनों में 5 प्रतिषत की सांद्रता की हद तक काम में लाया जा सकता है। सेलिसिलिक एसिड को एक कीरेटोलिटिक वस्तु बताया गया है जो बैक्टिरियोस्टेटिक व फंजीसाइडल गुण रखती है व जिसे त्वचा के फंगस इंफेक्षन में काम में लाया जाता है।

जिंक ऑक्साइड को बाह्य रूप से पाउडर की सफाई करने तथा यह एक धीमा एस्ट्रींग्जेंट है। क्लोरफेंसिंन एक सक्रिय पदार्थ है जो नाइसिल में प्रयुक्त होता है इसमें भी एंटीफंगल व एंटीट्राइकोमेनाल गुण है। तथा यह भी पाउडर की सफाई करने में काम में आता है व इसकी सांद्रता 1 प्रतिशत है।

यह देखते हुए सचिवालय ने जाॅनसन के कांटेदार ताप पाउडर के वर्गीकरण पर प्रश्न उठाते हुए शाॅवर टू शाॅवर को एक औषधि बताया है व कहा कि इसके प्रयोग व इसके संघटन को देखते हुए यह दोनों उत्पादन त्वचा की देखभाल के लिए शीषक 33.04 में आने योग्य हैं। परंतु यह कहा गया है कि नाइसिल को शीर्षक 33.04 में औषधि माना जाना चाहिए।

इस प्रकार के मामलों में यह देखा जाना होता है कि जहां वस्तु पर राज्य के अधिकारियों द्वारा कर लगाया जाता है न्यायालय को वस्तुओं के वर्गीकरण के तरीके के

आधार पर फैसला करना चाहिए न कि उसके एटीमोलोजिकल तात्पर्य पर या विशेषज्ञ की राय पर।

अधिकरण ने वर्तमान मामले में क्रम सं. 14 एफ टैरिफ अधिनियम के स्पष्टीकरण 2 पर भरोसा करते हुए कि ''यह मद उन सौन्दर्य व शौचालय प्रसाधनों'' को शामिल करती हो या नहीं अथवा उन्हें सहायक इलाज करने वाला अथवा एंटीसेप्टिक रोगनिरोधी क्षमता हो या नहीं। इस न्यायालय ने बीपीएल फार्मास्यूटिकल के मामले में निर्धारित किया कि

सिलिनियम सल्फाइड के उत्पादन सफाई करने, सुंदरता बढ़ाने, आकर्षण बढ़ाने या चेहरा बदलने के काम के नहीं है तथा उनकी तैयारी लेवलिंग साहित्य व चरित्र तथा सामान्य व वाणिज्यिक बोल-चाल में उन्हें ऐसा समझा गया हो अथवा नहीं। केंद्रीय उत्पादन एवं आबकारी बोर्ड के पूर्व के निर्णयों में यह माना गया है कि यह उत्पादन एक औषधि है तथा औषधीय उत्पादन उप शीर्षक 3003.19 के तहत है और ऐसा कोई कारण नहीं कि

इस वर्गीकरण को माना जाए क्योंकि नया टैरिफ अधिनियम आ गया है। पूर्व की समझ व निर्णयों पर जोर दिया गया।

वर्तमान मामलों में अधिकरण ने बीपीएल फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के मामले पर ध्यान देकर तथा उसे इस आधार पर विभेदित किया कि उक्त मामले में तथ्यों पर इस न्यायालय ने जो ध्यान दिया वे तथ्य इस मामले से भिन्न हैं जो उन्हंे तय करना है। अधिकरण का कहना है कि कांटेदार ताप पाउडर पर लगे लेबल से यह पता नहीं

चलता कि यह एक औषधि है जो किसी चिकित्सक की सलाह पर दी जानी है या किसी चिकित्सक की पर्ची दी जानी है। अधिकरण ने यह भी अंकित किया कि यह उत्पादन एक प्रमुख औषधि के रूप में नहीं जानी जाती अपितु मात्र कांटेदार ताप को दूर करने के लिए मदद के रूप में जानी जाती है। अधिकरण ने कई तर्क गिनवाये जो अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत किये गये थे और यह विचार व्यक्त किया कि:

> ‘‘उत्पादन को हमारे समक्ष परीक्षण करने पर हम पाते हैं कि कांटेदार ताप पाउडर के उत्पादन में सेलिसिलिक एसिड 0.8 प्रतिशत से 1.5 प्रतिशत है, बोरिक एसिड 5 प्रतिशत, जिंक ऑक्साइड 10 से 16 प्रतिशत है तथा सुगंधित पाउडर का आधार हाइड्रेट मैग्निशियम सिलिकेट भी है। अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या सेलिसिलिक एसिड 0.8 से 1.5 प्रतिशत, बोरिक एसिड 5 प्रतिशत व जिंक ऑक्साइड 10 से 16 प्रतिशत सहायक औषधि अथवा एंटिसेप्टिक तत्वों से बनी है। निर्धारिती ने यह तर्क दिया कि यह एक पूरक तत्व नही ंहै अपितु महत्वपूर्ण तत्व है। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने औषधि नियंत्रक की राय पर भरोसा किया जहां औषधि नियंत्रक ने शाॅवर टू शाॅवर के बारे में यह राय दी थी कि बोरिक एसिड की उच्च सान्द्रता के कारण उत्पादन को सुगंधित पाउडर नहीं माना जा सकता। इसके विरुद्ध हम पाते हैं कि सीसीसीएन के सचिवालय ने अपने पृष्ठांकन के पेरा 28 में यह राय दी है कि कांटेदार ताप पाउडर

के वर्गीकरण के प्रश्न की जांच में जो भारतीय प्रशासन के समक्ष प्रश्नगत है, सचिवालय ने यह तय किया है कि धूल हटाने वाले पाउडर जिनमें बोरिक एसिड, जिंक ऑक्साइड व सेलिसिलिक एसिड उनकी औषधि कीमत के कारण कुछ बीमारियों के इलाज में प्रयोग में लाया जाता है। परंतु ऐसे उत्पादनों में जिस प्रकार के उदाहरण मार्टिन्डेल एक्स्ट्रा फार्मेकोपिया में बताये गये हैं। सक्रिय पदार्थों की मात्रा ज्यादा है। उदाहरणार्थ - कम्पाउन्ड जस्ता जो धूल हटाने का पाउडर है उसे धारा में त्वचा के एजेन्ट के रूप में पृष्ठ 460 पर बताया गया है जिसमें जिंक ऑक्साइड 25 प्रतिशत है बोरिक एसिड 5 प्रतिशत है। स्टर्लाइज्ड शुद्ध सुगंधिक पाउडर 35 प्रतिशत स्टार्च 3 प्रतिशत है। एक अन्य उत्पादन में जिंक व सेलिसिलिक एसिड धूल हटाने वाला पाउडर जिसमें जिंक ऑक्साइड 20 प्रतिशत, सेलिसिलिक एसिड 5 प्रतिशत व स्टार्च 75 प्रतिशत है, परंतु बोरिक एसिड नहीं है। पुनः पेरा 30 में सचिवालय ने यह राय दी है कि बोरिक एसिड की सान्द्रता सुगंधित पाउडर में 5 प्रतिशत ही है जबकि सेलिसिलिक एसिड के बारे में सचिवालय ने यह राय दी है कि वे शा॑वर टू शा॑वर तथा जा॑नसन के कांटेदार ताप पाउडर को त्वचा की देखभाल के उत्पादन के रूप में शीर्षक 33.04 में रखेंगे।''

सहयोगी सिस्टम कमेटी के इस निर्णय को देखते हुए अधिकरण ने इंगित किया कि केन्द्रीय उत्पादन टैरिफ एचएसएन पर आधारित है तथा कमेटी की राय व सिफारिश को दरकिनार इस आधार पर नहीं किया जा सकता कि समान उत्पादनों का उत्पादन व उनका विक्रय औषधि लाइसेंस के तहत हो रहा है।

वास्तव में सामंजस्य की व्यवस्था जो वर्गीकरण के नामकरण के सम्बन्ध में है वह हमारे समक्ष जिलाधीश केन्द्रीय आबकारी शिलांग बनाम वुडक्राफ्ट प्रोडक्ट्स लिमिटेड (1995) 3 एसीसी 454 के मामले में सामने आई थी। इस न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया था कि जब केन्द्रीय आबकारी टैरिफ अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्य नामकरण के सिद्धांतों पर जो एचएसएन में दिये गये हैं आधारित है को कोई विवाद जो टैरिफ वर्गीकरण के बारे में है, जहां तक सम्भव हो एचएसएन के नामकरण के सिद्धांतों पर जो उन्होंने इंगित किये हैं, आधारित होने चाहिए। जब तक कि केन्द्रीय आबकारी टैरिफ अधिनियम 1985 में अन्यथा स्पष्ट रूप से भिन्न आशय वर्णित नहीं हो। यह भी आगे जोड़ दिया गया था कि जब केन्द्रीय आबकारी टैरिफ अधिनियम एचएसएन के आधार व तरीके पर निर्मित किया गया है तो अधिनियम में प्रयुक्त प्रत्येक भाव को जहां तक सम्भव हो एचएसएन में दिये गये भाव के अनुसार ही माना जाना चाहिए जबकि भारतीय टैरिफ में कोई भिन्न आशय प्रकट नहीं किया गया हो।

लेकिन वर्तमान मामले में उत्पादनों को विभाग द्वारा स्वयं न सिर्फ विवाद द्वारा अपितु अन्य विभाग जैसे औषधि नियंत्रक केन्द्रीय विक्रय कर अधिकारीगण द्वारा भी उत्पादनों

को जो मतलब दिया जा रहा है वह यह है कि ये औषधीय उत्पादन है, तो इसे स्वीकार करना चाहिए।

बीपीएल फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के मामले में उद्घोषित सिद्धांतों को लागू करते हुए तथा विभिन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कि उत्पादनों को पूर्व में कई अवसरों पर विभाग द्वारा क्या माना गया तथा उनका किस प्रकार उपयोग हुआ है, तथा व्यावसायिक समझ में एक औषधि माना गया है। यह औषधि होना बंद नहीं हो जाएगा चाहे नया टैरिफ अधिनियम प्रभावी हो गया हो। ऐसे मामलों में यह देखा जाना है कि सामान्य अनुभूति में औषधि अधिनियम के उद्देश्यों के लिए विक्रय कर अधिनियम के उद्देश्यों के लिए तथा न्यायालयों के लिए व अन्य निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में व विभागीय निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में यह निर्णय अपेक्षित है कि उत्पादनों को जो प्रश्नगत हैं उन्हे औषधीय उत्पादन माना जाये।

अतः हमें यह कहने मे कोई संदेह नहीं कि हम अधिकरण का आदेश बदलते हैं एवं जिलाधीश का आदेश बहाल करते हैं।

तदनुसार अपीलें स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी राकेश कुमार बंसल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।